रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 850] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2001/अग्रहायण 1, 1923

No. 850] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2001/AGRAHAYANA 1, 1923

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001

का.आ. 1154(अ).— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित संशोधन/उपान्तरण किए जाते हैं ।

यतः इस बारे में भवन उप-नियम 1983 में केन्द्र सरकार का निम्नलिखित जिन संशोधनों/उपान्तरणों का प्रस्ताव था उन्हें दिनांक 30 अगस्त, 2001 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था । कुल मिलाकर 19 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता के तहत एक समिति द्वारा उनकी जांच की गई ।

यतः रिपोर्ट की पूरी जांच करने के बाद केन्द्र सरकार ने भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित उपान्तरण/परिवर्द्धन करने का निर्णय लिया है:

अतः अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 कं की उप धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन उप-नियम 1983 में निम्नलिखित उपांरतण/परिवर्द्धन करती है ।

उपान्तरण

(i) खण्ड 7.2.2. में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:-

"परिशिष्ट- ग, फार्म- ग (भवन उप-नियम-7.2.2) लागू नहीं होगा । तथापि कुरसी स्तर तक कार्य पूरा होने पर भवन स्वामी अपने वास्तुक/इंजीनियर/पर्यवेक्षक के जरिए परिशिष्ट ख-। के अनुसार प्रपत्र (प्रति संलग्न) में स्थानीय निकायों को सूचित करेगा ताकि स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित कर सकें कि कार्य स्वीकृत भवन योजना और भवन उप-नियमों के अनुरूप है । स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ऐसी सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर कार्य का निरीक्षण करें और प्रपत्र ख-2 में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, भवन स्वामी और वास्तुक/इंजीनियर को भेजे । ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि निर्माण कार्य जारी रखने की स्वीकृति है । भवन का और आगे निर्माण कार्य स्वीकृत भवन योजना के अनुसार हो, यह सुनिश्चित करना भवन स्वामी/वास्तुक/पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है ।"

(ii) खण्ड 7.2.3 में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

"प्रपत्र- घ (उप-नियम 7.2.3) लागू नहीं होगा ।"

(iii) खण्ड 7.2.4 में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

"यह लागू नहीं होगा ।"

(iv) खण्ड 7.5.2 में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

क्र0सं09 भूमिगत नाली, सफाई और जल आपूर्ति कार्य को अपने पर्यवेक्षण के अधीन और भवन उप-नियमों और स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ढकने के लिए यथा लागू परिशिष्ट ख-3 (प्रतिलिपि संलग्न) में यथा निर्धारित अनुसार भवन स्वामी यथा वास्तुक/पर्यवेक्षक अथवा इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र ।

क्र0सं010 बड़े कैम्पस/परिसर के मामले में, एकल ब्लाक/भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय द्वारा, चरण वार पूर्ण किए गए कार्य के अनुसार परिशिष्ट ख-3 प्रपत्र में जारी किया जाएगा ।

क्र0सं011 पूर्णता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने की तारीख तक समय बढ़ाना । विचलन, जिसे संयोजित न किया जा सकता हो, के कारण पूर्णता प्रमाण-पत्र न दिए जाने के मामले में पूर्णता रद्द की जाएगी और तदनुसार समय बढ़ाना अपेक्षित होगा ।

क्र0सं012 नियमित जल आपूर्ति और बिजली के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पूर्णता प्रमाण-पत्र हासिल करने के बाद ही जारी किया जाए ।

[फा. सं. एन-11011/9/98-डीडी-IV (भाग)/डीडीआईबी]
पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट- ख -I
(उप-नियम सं.7.2.2)

कुरसी(प्लिंथ) स्तर तक कार्य के पूर्ण जो जाने की सूचना ।

सेवा में,

....
........................प्राधिकरण,
नई दिल्ली ।

महोदय,

मेरे पर्यवेक्षण में और संस्वीकृत प्लान के अनुसार भवन सं0..............प्लाट सं0.............स्कीम सं0............सड़क/स्ट्रीट- वार्ड.............ये आपकी अनुमति सं0............के अनुसार कुरसी(प्लिंथ) स्तर तक कुरसी (प्लिंथ)/कॉलम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ।

भवदीय,

लाइसेंस प्राप्त वास्तुविद्/इंजीनियर/
पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम:..................................
(बड़े (ब्लाक) अक्षरों में)
पता:..................................
....

दिनांक:.........................

परिशिष्ट-ख-2
(उप-नियम सं0 7.2.2)

निरीक्षण रिपोर्ट

मैं.....के पद पर कार्यरत .....
के साथ अनुमति सं0.....दिनांकित..... के अनुसार भवन सं0.....
प्लाट सं0.....योजना सं0.....सड़क/क्षेत्र.....
वार्ड.....का निरीक्षण किया । संस्वीकृत योजना से अलग निम्नलिखित विचलन ध्यान में आये हैं जो मास्टर योजना/उप-विधि की शर्तों के विरूद्ध है और असमाधेय (ना-कम्पाउन्डेबल) प्रकृति के हैं ।

उल्लेखनीय विचलनों का विवरण:.....
.....
.....
.....
.....
.....

जब तक विचलनों में सुधार नहीं कर लिया जाता और निर्माण संस्वीकृत योजना के अनुरूप नहीं हो जाता तब तक आप निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाये ।

भवदीय,

कृते.....
.....
.....
सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय सं0.....
कार्यालय मोहर.....
दिनांक:.....

परिशिष्ट-ख-3
(उप नियम 7.5.2)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
नई दिल्ली

आयुक्त,
दिल्ली नगर निगम,
दिल्ली

महोदय,

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि...स्कीम के ब्लाक सं0...................भूखंड सं0...........में/पर भवन सं0....................में/पर निर्माण/ पुनर्निर्माण या सामग्री परिवर्तन का हमने पर्यवेक्षण किया है और कार्यालय के दिनांक ....के पत्रांक..........................के तहत स्वीकृत योजना के अनुसार दिनांक...............को यह पूरा हो गया है । कार्य, हमारी संतुष्टि व कार्य कौशल के अनुसार पूरा हुआ है और समस्त सामग्री (टाइप व ग्रेड) सामान्य और विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार ही उपयोग में लाई गई है । सभी जल निकासी/सफाई/ जल आपूर्ति कार्य, हमारे पर्यवेक्षण में तथा भवन उप-नियमों/स्वीकृत योजना के अनुसार निष्पादित हुए हैं । कार्य के दौरान भवन उप-नियमों के किसी भी उपबंध, निर्धारित शर्तों अथवा उनके तहत जारी आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है । भवन उस उपयोग के लिए तैयार है, जिसके लिए इसका निर्माण/पुनर्निर्माण अथवा परिवर्ततन/विस्तार किया गया है ।

2. प्रमाण-पत्रः

(i) प्रमाणित किया जाता है कि भवन का निर्माण, स्वीकृत योजना तथा संरचनात्मक डिजाइन (निष्पादित संरचनात्मक नक्शों का एक सेट संलग्न है), जिसमें संगत प्रचलित आईएस कोडों/मानकों/दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा के उपबंध सम्मिलित हैं, के अनुसार किया गया है ।

(ii) आगे प्रमाणित किया जाता है कि जल एकत्रण के साथ-साथ गदे पानी की पुनर्शोधन प्रणाली की, स्वीकृत भवन योजना के अनुसार व्यवस्था की गई है ।

(iii) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण, हमारे पर्यवेक्षण तथा निर्देशन और प्रस्तुत किए गए नक्शों के अनुसार किया गया है तथा हमने पर्यवेक्षण के अभिलेखों का रखरखाव किया है ।

3. भवन के अधिभोग अथवा उपयोग की अनुमति दी जाए ।

4. समापन नक्शों से कोई परवर्ती परिवर्तन करने पर मकान मालिक जिम्मेदार होगा ।

(क) मकान मालिक के हस्ताक्षर
(तारीख सहित)
बड़े अक्षरों में नाम
पता

(ख) वास्तुकार के हस्ताक्षर
(तारीख सहित)
बड़े अक्षरों में नाम
पता

(ग) संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर
(तारीख सहित(प्रमाणपत्र(1)के लिए)
(एनबीसी ऑफ इंडिया में यथा परिभाषित)
बड़े अक्षरों में नाम
पता

(घ) पर्यवेक्षक/ग्रुप/इंजीनियर के हस्ताक्षर
(तारीख सहित)
बड़े अक्षरों में नाम, लाईसेंस नं0
पता

3594 GI/2010—2

समापन सह - अधिभोग-पत्र

आपकी दिनांक .....की समापन सूचना के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि स्कीम.....ब्लॉक सं0.....भूखंड सं0.....की प्रमाणित योजना के अनुसार भवन, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, और जिसकी योजना पत्रांक..... के तहत स्वीकृत की गई थी, का संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, अन्दर व आस पड़ोस में स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी भवन उप-नियमों के संदर्भ में निरीक्षण किया गया है और अधिभोग के लिए तथा नियमित पानी व बिजली कनेक्शन जारी किए जाने के लिए तैयार है । पूरे हुए निर्माण कार्य का विवरण इस प्रकार है:-

ब्लॉक वार/भवन वार निर्माण कार्य का विवरण

1. ब्लाक/भवन सं0

2. पूरे हुए कार्य का तल वार ब्यौरा

कृते
1) उपाध्यक्ष,
दिल्ली विकास प्राधिकरण
अथवा
2) आयुक्त,
दिल्ली नगर निगम

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2001

S.O. 1154(E).— In exercise of the powers conferred under Section-56 of Delhi Development Act, 1957, the following amendments/modifications are made in Unified Building Bye-laws, 1983.

Whereas the following modifications/additions which the Central Government proposed to make in the Building Bye-laws, 1983 in this regard were published for public information vide Public Notice dated 30th August, 2001 and was published in the Gazette of India Extraordinary. In all nineteen objections/suggestions were received and they were examined by a Committee under the convenorship of Chief Planner of Town and Country Planning Organisation;

Whereas after thorough consideration of the report, Central Government has decided to make the following Modifications/additions in the Building Bye-laws, 1983:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of Delhi Development Act, 1957, the Central Government hereby makes the following modifications/additions to the Building Bye-laws, 1983 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

i) In Clause 7.2.2 the following is added :-

"Appendix-C, Form-C (Building Bye-Laws 7.2.2) will not be applicable. However, the owner through his architect/engineer/supervisor shall give notice to the local bodies in the proforma as per Appendix B-1 (copy enclosed) on completion of work up to the plinth level to enable the local body to ensure that work conforms to the sanctioned building plans and Building Bye-Laws. It will be obligatory on the part of the local body to inspect the work and submit the objection, if any, to the owner and architect/engineer within 30 days from the receipt of such notice in Form B-2 failing which work will deemed to be cleared for further construction. It will be the responsibility of the owner/ architect/ supervisor to ensure further construction of the building in accordance with the sanctioned building plan".

ii) In Clause 7.2.3 the following is added :-

"Form-D (Bye-Laws 7.2.3) will not be applicable".

iii) In Clause 7.2.4 the following is added :-

"It will not be applicable".

iv) In Clause 7.5.2 the following is added :-

Sl. No. 9 A certificate by the owner and architect/supervisor engineer for covering up the underground drain, sanitary and water supply work, under their supervision and in accordance with Building Bye-Laws and sanctioned building plans stipulated in the Appendix B-3 (copy attached) as applicable.

Sl. No.10 In case of large campus/complex, completion of individual block/building will be issued by the local body in accordance with the construction work completed phase wise in the Performa Appendix B-3.

Sl. No.11 The Extension of Time up to the date of applying for completion certificate. In case, if the completion certificate is refused due to deviation, which cannot be compounded, the completion will be rejected and extension of time will be required accordingly.

Sl. No.12 NOC for regular water supply and electricity may be issued only after the completion certificate is obtained.

[F. No. N-11011/9/98-DD-IV(Pt)/DDIB]
P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Appendix B-1
(Bye-Law No. 7.2.2.)

Information for Intimation of Completion of Work up to Plinth Level

To

The .....
.....Authority
New Delhi.

Sir,

The construction up to plinth/column up to plinth level has been completed in building No. ..... on/in Plot No. ..... Scheme No. ..... Road/ Street ..... Ward ..... in accordance with your permission No..... dated ..... under my supervision and in accordance with the sanctioned plan.

Yours faithfully,

Signature of Licensed
Architect/Engineer/Supervisor

Name .....
(In Block Letters)
Address .....
.....

Dated .....

Appendix B-2
(Bye-Law No. 7.2.2.)

INSPECTION REPORT

I ..... working as a ..... with ..... have carried out the inspection of Building No. ..... on/in Plot No. ..... Scheme No..... Road/Street ..... Ward ..... in accordance with your permission No..... dated ..... The following deviation from the sanctioned plans have been noticed which are against the proviso of Master Plan/Bye-Laws and are of non-compoundable nature.

Description of deviations noticed : .....
.....
.....
.....

You may not proceed with further work till such time the deviations made are rectified and construction brought in conformity to sanction plans.

Yours faithfully,

For.....
.....
.....
Competent Authority

Office No..... .....
Office Stamp.....
Date .....

3599 GI/2001-3

APPENDIX B-3
(Bye-Laws 7.5.2)

The Vice-Chairman
Delhi Development Authority
New Delhi.

The Commissioner
Municipal Corporation of Delhi
Delhi.

Sir,

We hereby certify that the erection/re-erection or material alteration in/at building No. ..... on/in Plot No..... Block No. ..... situated at ..... Scheme has been supervised by us and has been completed on ..... . According to the plans sanctioned, vide office communication No..... dated..... The work has been completed to our satisfaction, the workmanship and all the materials (type and grade) have been used strictly in accordance with general and detailed specifications. All the drainage/sanitary/water supply work has been executed under our supervision and as per building bye-laws/ sanctioned plan. No provision of the Building Bye-Laws and conditions prescribed or orders issued there under have been transgressed in the course of the work. The building is fit for use for which it has been erected/re-elected or altered/constructed and enlarged.

2. Certificates :

(I) Certified that the building(s) has been constructed according to the Sanctioned Plan and structural design (one set of structural drawings as executed is enclosed) which incorporate the provisions of structural safety as specified in relevant prevailing IS Codes/ Standards/Guidelines.

(II) Further certified that water harvesting as well as waste water re-cycling systems have been provided as per the sanctioned building plan.

(iii) It is also certified that construction has been one under our supervision and guidance and adheres to the drawings submitted and the records of supervision have been maintained by us.

3. Permission to occupy or use the building may be granted.

4. Any subsequent change from completion drawings will be the responsibility of the owner(s).

a) Signature of the owner
with date
Name in Block letters
Address

b) Signature of the Architect
with date
Name in Block letter, Licence No.
Address

c) Signature of the Structural Engineer with date (for certificate (1)
(As defined in NBC of India)
Name in Block letters
Address

d) Signature of Supervisor/ Group/Engineer with date
Name in Block letters, Licence No.
Address

COMPLETION-CUM-OCCUPANCY CER TIFICATE

With reference to your notice of completion dated ..... I hereby certify that building, as per description below certified plan at Plot No..... Block No. .....Scheme..... Whose plans were sanctioned vide No... ..... has been inspected with reference to building bye-law in respect of the structural safety, fire safety, hygienic and sanitary conditions inside and in the surroundings and is declared fit for occupation and release of regular water and electricity connection. The description of the construction work completed is given as under :

DESCRIPTION OF CONSTRUCTION WORK BLOCK WISE/BUILDING WISE

1. Block/Building No.
2. Details of completed work floor wise.

For

(1) Vice-Chairman
Delhi Development Authority

Or

(2) Commissioner
Municipal Corporation of Delhi.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.